

राजस्थान – सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित / संस्था / स्थाईकरण / 2023 / 144

दिनांक : 22/08/2023

–: आदेश :-

चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर नियमित रूप से चयनित चिकित्सक जिनका परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण हो चुका है तथा निदेशालय द्वारा स्वीकृत नियमित वेतन श्रृंखला में सेवारत है, को राजस्थान सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 30 के अनुसरण में एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है:-

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्थाईकरण तिथि
1	डॉ० पूर्वा पारगी	15.12.1995	22.12.2020	22.12.2021
2	डॉ० अजंली शर्मा	06.09.1997	21.12.2020	21.12.2021
3	डॉ० देवेन्द्र सिंह	02.08.1988	27.03.2020	27.03.2021
4	डॉ० सुशीला काजला	10.09.1993	18.12.2020	18.12.2021
5	डॉ० आयुषी गुप्ता	15.03.1996	23.12.2020	23.12.2021
6	डॉ० महेन्द्र कुमार बडियासर	08.12.1990	23.12.2020	23.12.2021
7	डॉ० रोहित खरलवा	05.01.1995	27.03.2020	27.03.2021
8	डॉ० नेहा कनोजिया	27.07.1993	21.12.2020	21.12.2021

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित / संस्था / स्थाईकरण / 2023 / 144

दिनांक : 22/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप--2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोनस।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. कार्यालय अधीक्षक एटीसी, राजपत्रित मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
9. डिलिंग सहायक, संबंधित सीट, संस्थापन शाखा, राजपत्रित, मुख्यालय को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
10. रक्षित / निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date :22-08-2023 01:45:18